(वाद संख्या–915/4/7/2020)

23.09.2021

परिवादी, सुगंधी कुमारी, उपस्थित हैं।

परिवादी को सुना व संचिका का अवलोकन किया।

प्रसंगाधीन मामला परिवादी, सुगंधी कुमारी, जो क्लस्टर फैसिलिटेटर के रूप में कार्यरत थी, को धरोहर जीविका महिला संकुल संघ द्वारा विहित प्रक्रिया के अनुपालन किये बिना सेवामुक्त किया जाने तथा सेवामुक्त के उपरांत मानदेय का भुगतान नहीं किये जाने से संबंधित है।

उक्त के संबंध में **जिला पदाधिकारी, बक्सर** से प्रतिवेदन की मांग की गयी। जिला पदाधिकारी, बक्सर के प्रतिवेदन के साथ अनुलग्नित **जिला परियोजना प्रबंधक, जीविका, बक्सर** के प्रतिवेदनानुसार ‘‘**सुश्री सुगन्धी कुमारी, ग्राम+पो0–नगपुरा, थाना–सिमरी, जिला बक्सर, क्लसटर फैसिलिटेट्र के रूप में धरोहर जीविका महिला संकुल संघ के अनर्तगत कार्य कर रही थी। उनके अनुशासनहीन आचरण के कारण उनके नियोजन इकाई धरोहर जीविका महिला संकुल संघ ने विहित प्रक्रिया के अर्न्तगत उन्हे चयनमुक्त कर दिया।**

कृपया अवगत हो कि परिवादी का नियोजन इकाई धरोहर जीविका महिला संकुल स्तरीय संघ है यह एक स्वयं सहायता समुह की उच्चतर इकाई है जिसमे संकुल संघ से संबंधित सभी कैडर का अंशकालिक तौर पर सेवार्थ हेतु 11 माह का अंशकालिक एकरारनामा किया जाता है जिसमे सभी सेवा शर्त उपलबध होते है।

सुश्री सुगन्धी कुमारी चयन मुक्त होने के पूर्व एवं बाद में अपने कतिपय समस्याओं को लेकर प्रखंड एवं जिला स्तरीय जिला शिकायत निवारण समिति में नियोजन इकाई के विरूद्ध शिकायत दर्ज करायी थी, तदूपरान्त धरोहर महिला जीविका संकुल संघ ने सुश्री सुगंधी कुमारी को दिनांक 10/08/2019 को दो माह का अपने आचरण में सुधार करने का समय दिया गया, इसके उपरान्त भी व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया।

पुर्व में भी सुश्री सुगन्धी कुमारी के द्वारा अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, बक्सर, डुमरॉव, जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, बक्सर, श्रम अधीक्षक, बक्सर एवं जिला पदाधिकारी, बक्सर के कार्यालय में परिवाद दायर किया गया था, उक्त के आलोक में पारित निर्णय की छायाप्रति इस प्रतिवेदन के साथ संलग्न कर आवशयक कार्यवाही हेतु समर्पित किया जा रहा है। साथ ही साथ भवदीय को अवगत कराना है कि विभागीय दिशनिर्देश के अनुसार जिला स्तर पर जीविका द्वारा प्रोत्साहित महिला संकुल संघ, ग्राम संगठन एवं स्वयं सहायता समुह से संबंधित परिवाद हेतु सीमित होती है जिसके द्वारा भी इनके परिवाद पर निर्णय लिया जा चुका है।

कृपया अवगत हो कि अपने व्यवहार में सुधार के वजाय सुश्री सुगन्धी कुमारी ने जीविका के वरीय पदाधिकारियों पर झुठा आपराधिक मामला भी दर्ज कराया है, जो वर्तमान में अनुसंधानरत है।''

उक्त पर परिवादी से प्रत्युत्तर की मांग की गयी। परिवादी द्वारा अपने प्रत्युत्तर में सेवामुक्ति को वापस लेकर अपने पुर्ननियोजन तथा नवंबर, 2019 से लंबित मानदेय का भुगतान कराये जाने का पुनः अनुरोध किया गया साथ ही साथ अपने सहकर्मियों के विरूद्ध कई आरोप लगाये गये हैं।

परिवादी एक सरकारी कर्मचारी नहीं हैं। उसका नियोजन एक स्वयं सहायता समूह द्वारा किया गया है तथा जिला पदाधिकारी, बक्सर के साथ अनुलग्निन कागजातों से यह प्रतीत होता है कि उसके नियोक्ता (धरोहर जीविका महिला संकुल संघ) द्वारा विहित प्रक्रिया का अनुपालन कर व आचरण सुधार का उचित अवसर देकर परिवादी को चयनमुक्त किया गया है।

साथ ही साथ परिवादी अपने चयनमुक्ति के विरूद्ध अपने मानवाधिकारों का प्रयोग करते हुए संबंधित प्राधिकारों के समक्ष सुनवाई हेतु याचना भी कर चुकी है तथा सुनवाई का अवसर देकर संबंधित प्राधिकार द्वारा निर्णय भी लिया जा चुका है, तो उपरोक्त परिस्थिति में राज्य आयोग के

स्तर पर उक्त मामले में कोई आदेश/निर्देश/अनुशंसा किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। परिवादी उक्त के संबंध में संबंधित प्राधिकार से विधिनुसार वांछित अनुतोष प्राप्त कर सकती है।

जिला पदाधिकारी, बक्सर के प्रतिवेदन को स्वीकार करते हुए प्रसंगाधीन मामले को मानवाधिकार अतिक्रमण की श्रेणी में ना पाकर प्रस्तुत संचिका को राज्य आयोग के स्तर पर संचिकास्त किया जाता है।

कार्यालय, आज पारित आदेश के साथ **जिला पदाधिकारी, बक्सर** के प्रतिवेदन (पृ0–205–33/प0) की प्रति संलग्न कर परिवादी के वर्तमान पते (Sugandhi Kumari D/o- Late Lakshman Singh, Mother Name- Sarswati Devi, Buxar City Ismaeelpur Buxar, P.C College Buxar, Station Road, PS- Town Thana Buxar, Distt. Buxar, Bihar, Mobile -6200445013) पर सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

निबंधक